तारीख हुक्म	खेम सिंह जोधा बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या 226 / 2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.22	अपीलार्थी खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2022 में उसके द्वारा (1) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर में राजस्व विविध प्रा.पत्र 63 / 2014 निर्णय दिनांक 14.05.2014 से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की नियमानुसार प्रमाणित छायाप्रति से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	